IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# राष्ट्र निर्माण के सन्दर्भ में भारत में पंचायतीराज का विकास और भूमिका

1. **निशा नारायणी देवी, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तरप्रदेश**
2. **डॉ पूजा तिवारी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश**

**शोध पत्र का सार**

पंचायती राज व्यवस्था भारत के राष्ट्र निर्माण के गौरव में एक अमिट छाप छोड़ती है। स्थानीय स्व-शासन हमारे शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता का परिणाम है। पंचायती राज संस्थानों में ग्राम ब्लाक और जिला स्तर पर परिलक्षित संगठन और उनका बुनियादी इतिहास हमारे सशक्त भारत की नींव है। विभिन्न समितियों ने समय-समय पर इसमें सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की है। पंचायती राज संस्था का विकास उसकी शक्तियां और कार्य और उसमें सुधार की गुंजाइश का एक बेहतर लेख इस शोध पत्र के माध्यम से दिया गया है।

**कुंजी शब्द-** स्थानीय स्वशासन, पंचायत समिति, सामाजिक क्रांति, ग्राम पंचायत, विकेंद्रीकरण

## परिचय

**सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता,**
**अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता हैं।**
**-महात्मा गांधी**

राष्ट्रनिर्माण एक सतत् और अनवरत प्रक्रिया है जिसमे असंख्य बिंदु है। इनमे से एक बिंदु हमारी पंचायतीराज व्यवस्था अथवा स्थानीय स्वशासन है जिसके माध्यम से हमारे नीति निर्माताओं ने देश में राष्ट्रनिर्माण की अलख आखिरी पंक्ति तक पहुंचाई है। ग्रामीण भारत में प्रयुक्त स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज संस्थानों का उपयोग करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों को स्वायत्त रूप से उसी तरह से शासित किया जाता है जैसे नगरपालिकाएं और उपनगर शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। तीन पंचायती राज संस्थान हैं:

(1) ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति; (2) ब्लॉक (तालुका) में, और (3) जिला स्तर पर, जिला परिषद

ये संगठन आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और 11 वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों सहित राज्य और संघीय सरकार के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए काम करते हैं।

भारत में बहुत लंबे समय से पंचायती राज व्यवस्था रही है। 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला के बागधारी गांव में समकालीन भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की अवधि के दौरान, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वायत्तता की वकालत की। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के साथ स्थानांतरित विषयों की सूची में स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया, जिसने प्रांतों में दोहरे शासन को भी सक्षम किया।

स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की जाँच के लिए 1957 में "बलवंत राय मेहता समिति" की स्थापना की जिसने गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सिफारिश की, नवंबर 1957 में प्रस्तुत की गई थी।

बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्तावों को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था, और 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पहली त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की गई थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के कारण संवैधानिक दर्जा मिला। ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर), और जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाती हैं (जिला स्तर पर) ।

पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ

- बलवंत राय मेहता समिति (1956-57)
- अशोक मेहता की समिति (1977-78)
- पीवी के राव के लिए समिति (1985)
- अनुसंधान के लिए एलएम सिंघवी समिति (1986)
- पीके थुंगों के लिए समिति (1988)

1992 के संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम ने 24 अप्रैल, 1993 को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस घटना ने भारत में पंचायती राज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया।

**1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित प्रावधान किए:**

1. त्रिस्तरीय संगठन (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत) का निर्माण

2. ग्राम स्तर पर नियमित रूप से ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के लिए हर पांच साल में चुनाव

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटन

4. महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें अलग रखी गई हैं

5. राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है

प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, पंचायतों को पहले के समय से सुव्यवस्थित किया गया था और एक कानूनी आधार प्रदान किया गया जब वे पंचायतों के अनौपचारिक जाति-आधारित विभाजन थे।

देश के वास्तविक राष्ट्रनिर्माण व विकास के लिए स्थानीय स्वशासन होना बहुत आवश्यक है क्योंकि स्थानीय स्तर वास्तविक क्षेत्र हैं जहाँ नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है और जहाँ सरकार को मौजूदा नीतियों आदि में समस्याओं और मुद्दों का पता चलेगा। इसलिए, भारत ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय सरकार भी लाई जिसमें पंचायत और नगर पालिका दोनों शामिल हैं।

## पंचायती राज संस्था का विकास

पंचायती राज संस्था का विकास स्थानीय सरकारों या पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। उदाहरण के लिए बलवंत राय मेहता समिति और 1957 की अशोक मेहता समिति। पी.वी. नरसिम्हा राव, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ पारित किया गया था, जिसमें क्रमशः भाग IX, अर्थात पंचायतों और भाग IX-A, अर्थात नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति को भारत सरकार द्वारा इसके पहले के दो कार्यक्रमों के कामकाज को देखने के लिए प्रबंधित किया गया था। समिति ने 1957 में अपनी बहुत ही उद्देश्यपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द पहली बार वहां दिखाई दिया। उनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना - यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना था। इन संसाधनों और शक्तियों का इन निकायों को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है। मौजूदा राष्ट्रीय विकास परिषद ने उन सिफारिशों को स्वीकार किया जो की गई थीं। हालाँकि, उन्होंने एक एकल और निश्चित पैटर्न पर जोर नहीं दिया, जिसका इन संस्थानों की स्थापना में पालन किया जाना था। इसने राज्यों को अपने स्वयं के पैटर्न को विकसित करने की अनुमति दी, जबकि व्यापक बुनियादी सिद्धांत पूरे देश में समान थे। राजस्थान ने पहले प्रणाली को अपनाया, उसके बाद उसी वर्ष आंध्र प्रदेश ने। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायतों के साथ चार स्तरीय व्यवस्था बनाने के लिए भी आगे बढ़े, जो विभिन्न न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करती थी। एक पंचायत की शक्तियों को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उन्हें राज्य सरकारों द्वारा जगह के वातावरण के अनुसार लगाया जा सकता है। सामान्य तौर पर, राज्य सरकारें पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान कर सकती हैं जो उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने में सक्षम बनाती हैं। उन्हें उचित कर लगाने और एकत्र करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है। जी० वी० के० राव समिति की स्थापना योजना आयोग द्वारा की गई थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकासात्मक प्रक्रियाओं को स्थानीय स्वशासन संस्थानों से दूर ले जाना होगा, जिसके परिणामस्वरूप 'जड़ों के बिना घास' की तुलना में एक प्रणाली होगी। जिला परिषद को प्रमुखता देनी होगी और उस स्तर के सभी विकास कार्यक्रम उसे सौंपे जाने होंगे।

## एल एम सिंघवी समिति (1986)

इसका गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरोद्धार' पर किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, गांवों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी थी। 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 में लोकसभा में पेश किया गया। राज्यसभा ने इसका विरोध किया। नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल के दौरान ही यह विचार अंततः वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में एक वास्तविकता बन गया।

## पंचायती राज व्यवस्था का पदानुक्रम

भारत देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, अर्थात, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर। इन पर नीचे चर्चा की गई है:

## त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना

| स्तर | संरचना | मुख्य पदाधिकारी | संघीय सहयोगी |
|---|---|---|---|
| ग्राम स्तर | ग्राम पंचायत | प्रधान | वी.डी.सी. सदस्य |
| खण्ड (ब्लाक) स्तर | क्षेत्र पंचायत | प्रमुख | क्षे.पं. सदस्य |
| जिला स्तर | जिला पंचायत | अध्यक्ष | जि.पं. सदस्य |

## ग्राम सभा

ग्राम स्तर पर, हमने देखा है कि ग्राम सभा एक स्थायी और प्राथमिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत एक अस्थायी निकाय है जो गाँव के सभी उत्तरदायित्वों को लेता है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी और प्राथमिक संस्था है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (बी) में उल्लिखित एक स्थायी निकाय है। यह एक ऐसा समूह है जो गाँव के कल्याण के लिए बनाया जाता है, जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो उस गाँव के मतदाता होते हैं। एक ग्राम सभा में एक गाँव या एक से अधिक गाँव हो सकते हैं।

## संघटन

पूरे गांव को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि को चुना जाता है जिसे पंच या वार्ड सदस्य कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत में सभी पंच और सरपंच शामिल होते हैं जो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इनके अलावा एक सचिव होता है, जो इन सदस्यों की तरह निर्वाचित नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह सचिव ग्राम सभा का सचिव भी होता है और वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की सभी बैठकें बुलाता है और इनका रिकॉर्ड भी रखता है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है: इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और गाँव में रहते हैं जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी लिखा हुआ है।

## शक्तियां और कार्य

भारतीय संविधान के अनुसार, ग्राम सभा अपने कार्यों का प्रयोग करती है और उसके पास उस राज्य की विधायिका द्वारा तय और प्रदान की गई शक्तियाँ होती हैं। ग्राम सभा की विभिन्न शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं: ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। यह विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान भी करता है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। यह गाँव के लोगों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में नकद या वस्तु या दोनों के रूप में समर्थन का अनुरोध करती है। यह विभिन्न जन शिक्षा और परिवार का समर्थन करती है। कल्याण कार्यक्रम और योजनाएँ। यह करों या शुल्कों आदि से संबंधित मामलों या ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर विचार करता है।

### ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना और क्रियान्वित करना है। ग्राम सभा के ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करना। स्थानीय करों को लगाना और संग्रह करना। गांव में सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि।

### ग्राम सभा में महिलाओं की प्रतिभागिता कैसे बढ़ायें

सामान्यतः ग्राम सभा में महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत कम होती है परन्तु महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित कर गांव स्तर पर उनके अधिकारों और आवाज को बढ़ाया जा सकता है। ग्राम पंचायत को इन्हें प्रेरित कर ग्राम सभा में प्रतिभागिता बढ़ाना होगा। आवश्यकतानुसार महिला-वार्ड सदस्य की सहायता ली जा सकती है।

### ग्राम पंचायतों की समितियाँ

### मध्यवर्ती स्तर पर

मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिसे आंचलिक या जनपद या प्रखंड पंचायत भी कहा जाता है। मध्यवर्ती स्तर को ब्लॉक स्तर भी कहा जाता है। यहां, इसकी देखरेख खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा की जाती है, जिनके अधीन कई गाँव हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243बी के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है।

### जिला स्तर पर

इस स्तर पर जिला परिषद है। राज्य के सभी खंड विकास अधिकारी जिला परिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं। जिला स्तर पर विकास की सभी योजनाएँ पंचायत समिति के सहयोग से जिला परिषद द्वारा बनाई जाती हैं।

## वित्तीय संसाधन

पंचायती राज संस्थाओं के सबसे बड़े वित्तीय मुद्दे को वर्तमान में संबोधित किया जा रहा है। यह बिना कहे चला जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं के निपटान में संसाधनों का उन कार्यों की गुणवत्ता और विविधता पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें पूरा करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और राज्य और संघीय बजट आवंटन संसाधन आधार की स्थिरता में भूमिका निभाते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था वास्तव में अभी नाजुक है। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के विकल्प इस प्रकार गंभीर रूप से विवश हैं। भारत का राजस्व स्रोतों का केंद्रीकरण, जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष का एक बिंदु है, एक समस्या है। इसी प्रकार राज्य की वित्तीय व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। अपेक्षित अनुदान के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को उच्च अधिकारियों की ओर देखना चाहिए। क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक कर्त्तव्य दिए जा रहे हैं, संसाधनों और कार्यों के बीच असंतुलन का गंभीर खतरा है। केंद्र या राज्य समान तीव्रता के साथ आनुपातिक रूप से संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। नतीजतन, इनमें से अधिकतर निकायों को संसाधन-सीमित वातावरण में काम करना चाहिए। राज्यों के पास एक विभाग होता है जिसके माध्यम से वे धन का वैधानिक हिस्सा प्राप्त करते हैं जो कानून द्वारा उनका होता है। दूसरी ओर, पंचायती राज संस्थाओं को कोई भी राज्य का हिस्सा नहीं मिलता है, और जो राशि उन्हें प्राप्त होती है वह प्रकृति में अनिवार्य रूप से विवेकाधीन होती है।

## अन्य विवरण

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) (2) के अनुसार, सभी सीटों पर सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षित हैं।
- ⅓ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और ⅓ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों में से ⅓ भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

## ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर

| ग्राम सभा | ग्राम पंचायत |
|---|---|
| स्थायी और विधायी निकाय | अस्थायी और कार्यकारी निकाय |
| इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो गाँव की मतदाता सूची में मौजूद हैं। और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। | इसमें वार्ड सदस्य व सरपंच शामिल हैं। |
| सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। | सदस्य सीधे चुने जाते हैं। |

## क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है

पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर और प्रभावी कामकाज के लिए दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की छठी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है।

वास्तविक राजकोषीय संघवाद यानी राजकोषीय जवाबदेही के साथ राजकोषीय स्वायत्तता एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकती है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार के प्रत्येक स्तर के कार्यों का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों को सक्षम दिशानिर्देशों और समर्थन के माध्यम से स्थानीय निकायों को सार्वजनिक या निजी एजेंसियों को विशिष्ट कार्यों को आउटसोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि उपयुक्त हो सकता है। व्यापक और समग्र प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विषय वस्तु विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों से विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

यह वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और सामान्य प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित संस्थानों की 'नेटवर्किंग' द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय सूचनाओं की सत्यनिष्ठा, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, लागू कानूनों के अनुपालन और स्थानीय निकायों में शामिल सभी व्यक्तियों के नैतिक आचरण की निगरानी के लिए जिला स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जा सकता है।

## पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने धीरे-धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को दोगुना कर दिया है। वे बच्चों, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास के लिए और स्थानीय संसाधनों, ऊर्जा और मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अब महिलाओं के पास एक शानदार अवसर मिला है। महिलाओं की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को समाज में समान रूप से भाग लेने और सक्रिय रूप से स्थानीय मुद्दों को सुलझाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं के ज्ञान में वृद्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाने की दिशा में एक अच्छा पहला कदम है।

उनकी व्यस्तता और सुधार के परिणामस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और चिकित्सा क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में सुधार होगा। जो महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, वे इस प्रकार समाज और राष्ट्र की भलाई में काफी सुधार कर सकती हैं। महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं, परिवार, समाज, राज्य और देश की समग्र रूप से उन्नति होती है। अब जबकि महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण और दृष्टिकोण विकसित हो गए हैं, राष्ट्र मानव संसाधनों के मामले में अपनी पूरी क्षमता का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होगा। इसके परिणामस्वरूप महिलाएं अब अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी हैं।

## निष्कर्ष

देश में पंचायती राज को एक सामाजिक क्रांति के रूप में सराहा गया है। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना राष्ट्र में की गई थी। कई वर्षों तक, ये संस्थाएँ मृत्यु की स्थिति में थीं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बदौलत अब पंचायतों को संवैधानिक वैधता मिल गई है। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं (PRIS) के कार्य, उनकी वित्तीय और प्रशासनिक संरचना, और राज्य से उनके संबंधों पर चर्चा की गई है। यह उत्साहजनक है कि लोग अब लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में पंचायती राज के मूल्य और आवश्यकता के बारे में जागरूक हैं।

हमने पंचायती राज के विकास, ग्राम पंचायत प्रणाली, पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, ग्राम पंचायत की परिभाषा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर, पंचायत समिति, जिला परिषद और अन्य संबंधित चीजों के बारे में सीखा है। हमें उम्मीद है कि ये लोकतंत्र की बुनियादी इकाई के साथ-साथ इन सभी निकायों के कामकाज को समझने में मदद करेंगे। यह समझना मजेदार हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर विधायी और कार्यकारी निकाय कैसे काम करते हैं, लेकिन आपको सिस्टम को बेहतर ढंग से जानने और वास्तविक जीवन में भी इसका उपयोग करने में मदद मिलती है।

सामुदायिक, सरकारी और अन्य विकास एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संबंधों के माध्यम से ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके लाभार्थियों के जीवन में समग्र परिवर्तन लाना समय की मांग है।

सरकार को लोकतंत्र, सामाजिक समावेश और सहकारी संघवाद के हित में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। स्थायी विकेंद्रीकरण और हिमायत के लिए लोगों की मांगों को विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिए। विकेंद्रीकरण की मांग को समायोजित करने के लिए ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। कार्यों के आवंटन में स्पष्टता होना महत्वपूर्ण है और स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट और स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए।

**संदर्भ सूची:**


1. अवस्थी, ए. और एस.आर. माहेश्वरी, 1986, लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवालः नई दिल्ली
2. दत्ता, निकुंजलता, 1989, भारत में ग्राम पंचवत। मित्तल : नई दिल्ली
3. माहेश्वरी, एस.आर. 1988, भारतीय प्रशासन, ओरिएंट लॉन्गमैन: नई दिल्ली, 1988
4. मदन, जी.आर. 1983. भारत के विकासशील गांव, प्रिंट हाउस : लखनऊ
5. पलानीदुरई, के.वी. 1991. भारत में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण: एलबीएस नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल में रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट्स
6. वर्मा बी.एम.एन. 1990. विकेंद्रीकरण प्रशासन में, उप्पल: नई दिल्ली
7. भारत सरकार, पर समिति की रिपोर्ट ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन व्यवस्था (अध्यक्ष जी. आर. के. राव) दिल्ली, 1985
8. मेहता, बलवंत राय, 1959, पंचायती समिति की रिपोर्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार